९

तत्काल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

www.epfiindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या: एम.आई .एस./सूचना का अधिकार/2011/ 857 दिनांक 05/04/2011

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त/
क्षेत्रीय कार्यालय के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

विषय: मुख्य सूचना आयुक्त के दिनांक 18.03.2011 के आदेश के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष श्री एम.पी.श्रीवास्तव द्वारा दर्ज अपील याचिका दिनांक 06.12.2010, एक आदेश पारित किया गया जिसमे सूचना आयुक्त ने केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (एम आई एस) , मुख्यालय को निदेश दिया कि वित्तीय वर्ष के अंत तक क.भ.नि.सं. की वेबसाइट पर एम आई एस-110 तथा एम आई एस-111 में दी गई जानकारी अपलोड कर दी जाए तथा अगले वर्ष 30 मई तक उसे अद्यतन कर दिया जाए । केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय सं. सी आई सी/एस जी/ए/2010/003432/11550 दिनांक 18.03.2011 की प्रति एतद्द्वारा संलग्न है ।

2. अत: आपसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों की 2010-2011 की अवधि की एम आई एस-110 तथा एम आई एस -111 दिनांक 20.04.2011 तक भेज दें जिससे कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (एम आई एस) द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश का अनुपालन हो जाए । केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुपालन स्वरूप वर्ष 2009-2010 के एम आई एस-110 तथा एम आई एस -111 की जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की केन्द्रीय वेबसाइट पर डाल दी गई है । उक्त जानकारी भेजने में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से , एम आई एस रिटर्न को ई-मेल के द्वारा neomishq@yahoo.com तथा rc.mis@epfindia.gov. in पर भेज दिया जाए ।

3. इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए ।

भवदीय,

अनुलग्नक:यथोपरि

(संजय बिष्ट)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी /क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एम.आई.एस)

प्रतिलिपि:

1. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ,आंचलिक कार्यालय
2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (पी.आई.डी.) को उनके पत्र दिनांक 23.03.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(संजय बिष्ट)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी /क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एम.आई.एस)

D:\Ramesh\M.I.S.Right Information.doc